



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 4, शुक्रवार, शाके 1937-अप्रैल 24, 2015
Vaisakha 4, Friday, Saka 1937- April 24, 2015

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 23, 2015

संख्या एफ.23(2)चि.एव स्वा.3/2003/ पार्ट-II :- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 57) की धारा 16ए उप-धारा (2) के खण्ड (इ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23(2)चिकि.एवं स्वा./ग्रुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01-07-2003 से गठित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड में क्रम संख्या 8 पर उल्लेखित सदस्य के रूप में श्रीमती संजना आगरी, माननीय विधायक, सोजत (पाली) को मनोनीत करती है। इनका कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नीतू बारूपाल,

शासन उप सचिव।

151

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



Urgent
Dignitary
Pl. put up
Ms
3/6/15